न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 98 / 2021 दायर दिनांकः— 21 / 06 / 2021

उनवान

1. निर्मल कुमार मीणा आयु 35 वर्ष पुत्र अमरलाल।
2. नीरज मीणा आयु 31 वर्ष पुत्र अमरलाल।
3. नरेश कुमार मीणा आयु 27 वर्ष पुत्र अमरलाल जातियान मीणा निवासीगण निमोदा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. अमरलाल आयु 65 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी निमोदा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश दिनाकः 23 / 08 / 2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल निमोदा पटवार क्षैत्र भैसडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 2 का ख0नं0 172 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 258 का रकबा 0.88 है0, ख0न0 422 / 97 का रकबा 0.26 है0, ख0न0 423 / 151 का रकबा 1.59 है0, ख0न0 424 / 235 का रकबा 0.80 है0, ख0न0 425 / 240 का रकबा 0.18 है0, ख0न0 74 का रकबा [illegible]3 है0, ख0न0 76 का रकबा 0.12 है0, ख0न0 96 का रकबा 0.14 है0 कुल किता 9 का रकबा 4.06 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत् 2076 ग्राम पंचायत का वारिसान प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद0 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जो वादीगण के दादाजी बद्रीलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादीकम 1 को पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:26 IST
Reason: SelfAttested

बद्रीलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4 बनता है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार है। मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 01.04.2021 को प्रतिवादी क्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावे। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 26.05.2021 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अन्तर्मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 के मुताबिक ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 2 की कुल किता 9 का रकबा 4.06 है0 आराजी में से हिस्सा 1/4, 1/4 का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 2 को अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नही देने के कारण जवाब सरकार बन्द किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय मे जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 2 की कुल किता 9 का रकबा 4.06 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। लेकिन उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 की पैत्रक सम्पत्ति है। इसलिए उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 व वादीगण 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/4, 1/4 बनता है। उक्त वाद में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है जो राजीनामा निम्न प्रकार है। ग्राम व माल निमोदा पटवार क्षैत्र भैसडा तह0 अटरू कि खाता संख्या 2 की कुल किता 9 का रकबा 4.06 है0 आराजी में वादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/4 , 1/4 का कृषक खातेदार घोषित किया जाकर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार अटरू को किया जावे। अतः श्रीमान कि सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामे अनुसार हिस्सा 1/4, 1/4 को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज किया जाकर राजीनामा तस्दीक करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:26 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही [illegible] स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री चन्दालाल नागर द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम एंव माल निमोदा पटवार क्षैत्र भैसडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 2 का ख0नं0 172 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 258 का रकबा 0.88 है0, ख0न0

422/97 का रकबा 0.26 है0, ख0न0 423/151 का रकबा 1.59 है0, ख0न0 424/235 का रकबा 0.80 है0, ख0न0 425/240 का रकबा 0.18 है0, ख0न0 74 का रकबा 0.03 है0, ख0न0 76 का रकबा 0.12 है0, ख0न0 96 का रकबा 0.14 है0 कुल किता 9 का रकबा 4.06 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। उक्त विवादित आराजी के पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से अधिकार तो है लेकिन पिता के जीवनकाल में स्टाम्प व पंजीयन शुल्क जमा कराने पर ही दिया जा सकता है। न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एंव माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 2 का ख0नं0 172 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 258 उत्तर का रकबा 0.88 है0, ख0न0 422/97 पश्चिम का रकबा 0.26 है0, ख0न0 423/151 पूर्व का रकबा 1.59 है0, ख0न0 424/235 पश्चिम का रकबा 0.80 है0, ख0न0 425/240 पश्चिम का रकबा 0.18 है0, ख0न0 74 पश्चिम का रकबा 0.03 है0, ख0न0 76 पश्चिम का रकबा 0.12 है0, ख0न0 96 पश्चिम का रकबा 0.14 है0 कुल किता 9 का रकबा 4.06 है0 में आपसी सहमति से वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी कम 1 को 1/4—1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडाप्शन) अधिनियम 1952 के अनुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू, जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 98/2021

उनवान

1. निर्मल कुमार मीणा आयु 35 वर्ष पुत्र अमरलाल।
2. नीरज मीणा आयु 31 वर्ष पुत्र अमरलाल।
3. नरेश कुमार मीणा आयु 27 वर्ष पुत्र अमरलाल जातियान मीणा निवासीगण निमोदा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. अमरलाल आयु 65 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी निमोदा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू ....**X**..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एंव माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 2 का ख0नं0 172 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 258 उत्तर का रकबा 0.88 है0, ख0न0 422/97 पश्चिम का रकबा 0.26 है0, ख0न0 423/151 पूर्व का रकबा 1.59 है0, ख0न0 424/235 पश्चिम का रकबा 0.80 है0, ख0न0 425/240 पश्चिम का रकबा 0.18 है0, ख0न0 74 पश्चिम का रकबा 0.03 है0, ख0न0 76 पश्चिम का रकबा 0.12 है0, ख0न0 96 पश्चिम का रकबा 0.14 है0 कुल किता 9 का रकबा 4.06 है0 में आपसी सहमति से वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडाप्शन) अधिनियम 1952 के अनुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....**X**...................... मुबालिक ....**X**................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......**X**.. ... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....**X**.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.08.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:26 IST
Reason: SelfAttested

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प [illegible] दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्ट[illegible]र्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	ख[illegible]वाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)